

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 31/2025

Avnish Bansal Son Of Shri Praveen Bansal

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Gunjan Pathak, Adv.

For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

14/05/2025

आक्षेप संख्या-1 व 2 परिसीमा अवधि से संबंधित है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन संख्या-56/2025 प्रस्तुत किया जा चुका है।

आवेदन में वर्णित कारणों को देखते हुए याचिका पेश करने में जो 15 दिन का विलम्ब हुआ है, उसे माफ किया जाता है, इस प्रकार आक्षेप संख्या-1 व 2 अब शेष नहीं रहते हैं।

आक्षेप संख्या-3 पर सुना गया।

विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अभियुक्त पक्ष की ओर से चुनौती दी गई थी, जबकि यह निगरानी याचिका परिवादी की ओर से प्रस्तुत हुई है। अतः धारा 397(3) के प्रावधानों को देखते हुए यह निगरानी याचिका पोषणीय है, अतः आक्षेप संख्या-3 भी अब शेष नहीं रहता है।

आक्षेप संख्या-4 से 6 के संबंध में विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि यह आक्षेप दूर किये जा चुके हैं।

अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि आक्षेप दूर हो चुके हैं तो पी.एफ. नोटिस व डाक खर्च पेश होने पर विपक्षी क्रम-2 को सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण दिनांक 08.07.2025 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J